

उत्तराखण्ड शासन
संस्कृत शिक्षा अनुभाग
संख्या- 563 XLII-1/2014-8(15)2012
देहरादून, दिनांक: 19 अक्टूबर, 2014
नवम्बर
अधिसूचना

राज्यपाल, उत्तराखण्ड संस्कृत शिक्षा अधिनियम, 2014 (अधिनियम सं० 21 वर्ष 2014) की धारा 6 उपधारा (1) तथा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके उत्तराखण्ड संस्कृत शिक्षा परिषद को निम्नवत् गठित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

परिषद् में एक सभापति और निम्नलिखित सदस्य होंगे—

क्र० सं०	नाम निर्दिष्ट
1. (क)	निदेशक, संस्कृत शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून पदेन सभापति।

(ख) संस्कृत माध्यमिक संस्थाओं के निदेशक/सभापति द्वारा संस्तुत राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट तीन प्रधान—

(1)	डॉ० अन्नपूर्णा, प्रधानाचार्य, श्री द्रोणस्थली आर्ष कन्या गुरुकुल संस्कृत महाविद्यालय, देहरादून।
(2)	डॉ० कमलापति शास्त्री, प्रधानाचार्य, ऋषिकुल विद्यापीठ ब्रह्मचार्याश्रम संस्कृत महाविद्यालय, हरिद्वार।
(3)	ओम प्रकाश डिमरी, प्रधानाचार्य 1008 स्वामी सच्चिदानन्द सरस्वती संस्कृत महाविद्यालय चमोली।

(ग) संस्कृत प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक स्तर की संस्थाओं के निदेशक/सभापति द्वारा संस्तुत राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट तीन प्रधान।

(1)	श्री हर्षमणि बहुगुणा, प्रधानाध्यापक राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय तुंगोली एवं राजकीय संस्कृत महाविद्यालय चम्बा टिहरी गढ़वाल।
(2)	डा० गोपाल दत्त त्रिपाठी, प्रधानाचार्य, श्री सनातन धर्म संस्कृत महाविद्यालय हल्द्वानी नैनीताल।
(3)	श्री भुवन चन्द्र जोशी, प्रधानाचार्य श्री वाराही देवी संस्कृत महाविद्यालय देवीधुरा चम्पावत।

(घ) संस्कृत माध्यमिक संस्थाओं के निदेशक/सभापति द्वारा संस्तुत राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट तीन शिक्षक तथा संस्कृत प्राथमिक एवं पूर्वमाध्यमिक स्तर के संस्थाओं के निदेशक/सभापति द्वारा संस्तुत राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट तीन शिक्षक—

(1)	श्री दिनेश प्रसाद बडोनी, प्रभारी प्रधानाचार्य, श्री बदरीनाथ राज० सं०महा०वि०, नई टिहरी।
-----	--



(2)	आचार्य नत्थीलाल भट्ट प्रवक्ता, श्री गुरु राम राय लक्ष्मण संस्कृत महाविद्यालय, देहरादून।
(3)	श्री चन्द्रनसिंह बंगारी, कार्यवाहक प्रधानाचार्य, श्री शक्तिपीठाश्रम सं०वि० मानिला।
(4)	डा० भुवन भास्कर उपाध्याय, सहायक अध्यापक, श्री गोरी शंकर संस्कृत विद्यालय गोवत्सा पिथौरागढ़।
(5)	डा० नवीन चन्द्र जोशी, स० प्रवक्ता, श्री महादेव गिरि संस्कृत महाविद्यालय हल्द्वानी।
(6)	श्री गणपति शर्मा, सहा० प्रवक्ता, श्री विश्वनाथ संस्कृत महाविद्यालय उत्तरकाशी।

(इ) उत्तराखण्ड में विधि द्वारा स्थापित संस्कृत विश्वविद्यालय या उससे सम्बद्ध किसी संस्कृत महाविद्यालय का निदेशक/सभापति द्वारा संस्तुत राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट एक प्रध्यापक—

(1)	डॉ० भोला झा प्राचार्य, श्री भगवान दास आदर्श संस्कृत महाविद्यालय गुरुकुल कांगड़ी हरिद्वार।
-----	---

(च) उत्तराखण्ड संस्कृत अकादमी के सचिव द्वारा नाम निर्दिष्ट निदेशक/सभापति द्वारा संस्तुत राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट एक विशेषज्ञ—

(1)	डॉ० वाचस्पति मैठाणी, पूर्व निदेशक, संस्कृत शिक्षा विभाग।
-----	--

(छ) उत्तराखण्ड में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालयों (विशेषतः योग, आयुर्वेद तथा सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी) या उससे सम्बद्ध या सहयुक्त किसी महाविद्यालय के कुलपति द्वारा नाम निर्दिष्ट निदेशक/सभापति द्वारा संस्तुत राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट तीन प्रध्यापक जिनमें उक्त में क्रमशः एक-एक प्रध्यापक हों—

(1)	डॉ० ईश्वर भारद्वाज, प्रोफेसर, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार।
(2)	प्रो० अरुण कुमार त्रिपाठी, कार्यवाहक निदेशक, आयुर्वेदिक देहरादून।
(3)	नामित किया जाना है।

(ज) राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान नई दिल्ली के कुलपति द्वारा नाम निर्दिष्ट निदेशक/सभापति द्वारा संस्तुत राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट एक संस्कृत विशेषज्ञ—

(1)	नामित किया जाना है।
-----	---------------------

(झ) मेडिकल कॉलेज का निदेशक/सभापति द्वारा संस्तुत राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट एक विशेषज्ञ—

DMU

(1)	डॉ० सुमित दीक्षित, सहायक प्रोफेसर, श्री बीर चन्द्र सिंह गढ़वाली रा० आयुर्विज्ञान शोध संस्थान श्रीनगर गढ़वाल।
-----	--

(ज) राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, उत्तराखण्ड के निदेशक/सभापति द्वारा संस्तुत राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट दो विषय विशेषज्ञ—

(1)	श्रीमती किरण बहुखण्डी, सहायक निदेशक, एस०सी०ई०आर०टी० देहरादून।
(2)	श्रीमती साधना डिमरी, प्रवक्ता, भाषा विभाग एस०सी०ई०आर०टी०

(ट) वित्त विभाग का, निदेशक/सभापति द्वारा संस्तुत, राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट, एक प्रतिनिधि—

(1)	नामित किया जाना है।
-----	---------------------

(ठ) उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद्, रामनगर का, उनके द्वारा नाम निर्दिष्ट, निदेशक/सभापति द्वारा संस्तुत राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट एक विशेषज्ञ—

(1)	श्री रामेन्द्र कुमार ओझा, शोध अधिकारी, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् रामनगर नैनीताल।
-----	---

(ड) निदेशक/सभापति द्वारा संस्तुत, राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट दो वरिष्ठ संस्कृत शिक्षा अधिकारी—

(1)	श्री एस०पी० खाली, मुख्य शिक्षा अधिकारी, देहरादून।
(2)	श्री दिनेश लाल शाह, मुख्य शिक्षा अधिकारी, बागेश्वर।

(ढ) नेपाली/पाली भाषाओं में से सम्बद्ध निदेशक/सभापति द्वारा संस्तुत, राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट एक विशेषज्ञ—

(1)	डा० पदम प्रसाद सुवेदी, प्राचार्य, सेवानिवृत्त, गरीब दासीय संस्कृत महाविद्यालय हरिद्वार।
-----	---

(ण) महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कालेज, देहरादून का प्राचार्य, पदेन

(1)	प्राचार्य, महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कालेज, देहरादून।
-----	--

(त) परिषद् का सचिव, पदेन, जो परिषद् का सदस्य सचिव होगा—


(1)	सचिव, उत्तराखण्ड संस्कृत शिक्षा परिषद् देहरादून।
(2)	राज्य सरकार अल्पसंख्यकों (चाहे धर्म या भाषा पर आधारित हों) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों का जिसका

Handwritten signature

	प्रतिनिधित्व पर्याप्त रूप से अन्यथा नहीं हुआ है प्रतिनिधित्व प्राप्त करने के लिये शिक्षा से सम्बद्ध चार व्यक्तियों से अनधिक को परिषद् का सदस्य नाम निर्दिष्ट कर सकेगी।
(1)	श्री सुरेन्द्र सिंह बिष्ट, प्रधानाचार्य, रा0इ0का0 छरबा, देहरादून (अनु0 जाति)।
(2)	श्री राम बाबू विमल, प्रधानाचार्य, रा0इ0का0 छरबा, देहरादून (अनु0 जाति)।
(3)	श्रीमती चन्द्रकला, प्रभारी प्रधानाचार्य, श्री षडानन संस्कृत पाठशाला काण्डई दशज्यूला रुद्रप्रयाग (अनु0जाति)।
(4)	श्रीमती रचना शाह, स0अध्यापक, श्री गोविन्द संस्कृत पाठशाला शान्ति सदन, गोचर चमोली (अ0पि0व0)।

राज्यपाल इस सम्बन्ध में जारी अधिसूचना दिनांक 24.06.2014 को उपर्युक्त सीमा तक संशोधित समझते हुये यह घोषणा करते हैं कि अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (3) के अधीन उक्त परिषद् का सम्यक रूप से गठन हो गया है।

भवदीय,


(एस0 राजू)

अपर मुख्य सचिव।

संख्या- 563 /XLII-1/2014 तददिनांकित।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-:


1. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2. सचिव, मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड।
3. निजी सचिव, मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड।
4. निजी सचिव, समस्त मा0 मंत्री/राज्यमंत्री, उत्तराखण्ड।
5. निजी सचिव, मुख्य सचिव/समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
6. प्रमुख सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड।
7. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड।
8. राज्य सम्पत्ति अधिकारी, उत्तराखण्ड शासन।
9. समस्त अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
10. वित्त अधिकारी, इरला चैक अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
11. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
12. समस्त विभागाध्यक्ष तथा कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
13. महालेखाकार, उत्तराखण्ड।
14. समस्त कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
15. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड।
16. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड।
17. निदेशक, संस्कृत शिक्षा, उत्तराखण्ड/सभापति, उत्तराखण्ड संस्कृत शिक्षा परिषद्, देहरादून।



18. सचिव, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद्, रामनगर, नैनीताल।
19. अपर निदेशक, एस0सी0ई0आर0टी0, नरेन्द्रनगर, टिहरी गढ़वाल।
20. उप सचिव, उत्तराखण्ड संस्कृत शिक्षा परिषद्, देहरादून।
21. अपर निदेशक, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी / कुमाऊं मण्डल, नैनीताल।
22. समस्त मुख्य शिक्षाधिकारी, उत्तराखण्ड।
23. एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
24. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

 (विनोद प्रसाद रतूड़ी)
 अपर सचिव।



उत्तराखण्ड शासन
संस्कृत शिक्षा अनुभाग
संख्या- 17 XLII-1/2015-8(15)2012
देहरादून, दिनांक 13 जनवरी, 2015

अधिसूचना

अधिसूचना संख्या-563/XLII-1/2015-8(15)2012 दिनांक 19.11.2014 द्वारा उत्तराखण्ड संस्कृत शिक्षा अधिनियम,2014 की धारा-6 उपधारा (1) तथा (2) के अधीन उत्तराखण्ड संस्कृत शिक्षा परिषद गठित है। तत्समय प्रस्तर-छ(3), ज एवं ट के अन्तर्गत संस्तुति अप्राप्त होने के कारण सदस्यों को नामित नहीं किया जा सका।

सभापति,उत्तराखण्ड संस्कृत शिक्षा परिषद् की संस्तुति उपरान्त निम्नानुसार सदस्यों को उत्तराखण्ड संस्कृत शिक्षा परिषद में सदस्य के रूप में नामित किया जाता है:-

(छ) उत्तराखण्ड में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालयों (विशेषतः योग, आयुर्वेद तथा सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी) या उससे सम्बद्ध या सहयुक्त किसी महाविद्यालय के कुलपति द्वारा नाम निर्दिष्ट निदेशक/सभापति द्वारा संस्तुत राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट तीन प्रध्यापक जिनमें उक्त में क्रमशः एक-एक प्रध्यापक हों-

(3)	डॉ० अनिल नेगी, सहायक प्रोफेसर, गोविन्द बल्लभ पंत, इंजीनियरिंग कॉलेज, घुड़दौड़ी, पौड़ी गढ़वाल।
-----	---

(ज) राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान नई दिल्ली के कुलपति द्वारा नाम निर्दिष्ट निदेशक /सभापति द्वारा संस्तुत राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट एक संस्कृत विशेषज्ञ-

(1)	डॉ० गोपी रमण मिश्र, परीक्षा नियंत्रक, राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, नई दिल्ली।
-----	---

(ट) वित्त विभाग का, निदेशक/सभापति द्वारा संस्तुत, राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट, एक प्रतिनिधि-

(1)	मो० गुलफाम अहमद, वित्त नियंत्रक, गढ़वाल मण्डल विकास निगम, देहरादून।
-----	---

अधिसूचना दिनांक 19.11.2014 को उपर्युक्त सीमा तक संशोधित समझा जाए।

भवदीय,

(एस० राजू)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या- 170/XLII-1/2015 तददिनांकित।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-:

1. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2. सचिव, मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड।
3. निजी सचिव, मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड।
4. निजी सचिव, समस्त मा0 मंत्री/राज्यमंत्री, उत्तराखण्ड।
5. निजी सचिव, मुख्य सचिव/समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
6. प्रमुख सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड।
7. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड।
8. राज्य सम्पत्ति अधिकारी, उत्तराखण्ड शासन।
9. समस्त अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
10. वित्त अधिकारी, इरला चैक अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
11. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
12. समस्त विभागाध्यक्ष तथा कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
13. महालेखाकार, उत्तराखण्ड।
14. समस्त कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
15. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड।
16. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड।
17. निदेशक, संस्कृत शिक्षा, उत्तराखण्ड/सभापति, उत्तराखण्ड संस्कृत शिक्षा परिषद्, देहरादून।
18. सचिव, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद्, रामनगर, नैनीताल।
19. अपर निदेशक, एस0सी0ई0आर0टी0, नरेन्द्रनगर, टिहरी गढ़वाल।
20. उप सचिव, उत्तराखण्ड संस्कृत शिक्षा परिषद्, देहरादून।
21. अपर निदेशक, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमाऊं मण्डल, नैनीताल।
22. समस्त मुख्य शिक्षाधिकारी, उत्तराखण्ड।
23. एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
24. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(Handwritten Signature)

(विनोद प्रसाद रतूड़ी)
अपर सचिव।

6/c *(Handwritten Signature)*